संख्या-250/2021/1027रासनि/23-1-21-104रासनि/20टीसी2

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 लेखाशीषक-3054 के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के प्रयागराज गोरखपुर राज्य मार्ग सं0-7 के कि0मी0 68,69,70,72,74,84(700) एवं 88(300) व 104 से 106 तक विशेष मरम्मत के स्वीकृत कार्य के संबंध में निर्गत आदेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-1445सी/365सी/जौनपुर(भाग-20/20-21, दिनांक 11.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश सं0-160/2021/ 534रासनि/23-1-21-104रासनि/20टीसी2, दिनांक 20.07.2021 के क्रमांक-46 पर अंकित जनपद जौनपुर के प्रयागराज गोरखपुर राज्य मार्ग सं0-7 के कि0मी0 68,69,70,72,74,84(700) एवं 88(300) व 104 से 106 तक विशेष मरम्मत के कार्य में कि0मी0 84(700) के स्थान पर कि0मी0 87(700) किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के शासनादेश सं0-160/2021/ 534रासनि/23-1-21-104रासनि/20टीसी2, दिनांक 20.07.2021 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-46 पर अंकित कार्य का नाम 'जनपद जौनपुर के प्रयागराज गोरखपुर राज्य मार्ग सं0-7 के कि0मी0 68,69,70,72,74,84(700) एवं 88(300) व 104 से 106 तक विशेष मरम्मत का कार्य' के स्थान पर 'जनपद जौनपुर के प्रयागराज गोरखपुर राज्य मार्ग सं0-7 के कि0मी0 68,69,70,72,74,87(700) एवं 88(300) व 104 से 106 तक विशेष मरम्मत का कार्य' पढ़ा व समझा जाय।

3- विषयगत शासनादेश सं0-160/2021/534रासनि/23-1-21-104रासनि/20टीसी2, दिनांक 20.07.2021 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

संख्या-250/2021/1027रासनि (1)/23-1-21, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
7. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. लोक निर्माण अनुभाग-10
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in